

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 25 (ई)लेखा/आकाशि/सीएजी/2018-19 / 2139

दिनांक : 04/08/21

सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय- अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा।

प्राचार्य,

:-राजकीय महाविद्यालय-बॉसवाड़ा, कुशलगढ़ (बॉसवाड़ा), नागौर, आबुरोड़ (सिरोही), सांगोद (कोटा), करौली, हनुमानगढ़, उदयपुर, कोटड़ा (उदयपुर), झूंगरपुर, जोधपुर, बालेसर (जोधपुर), मण्डलगढ़ (भीलवाड़ा), जालौर, भीनमाल (जालौर), केलवाड़ा (बॉरा), मालपुरा (टोंक), सोजत सिटी (पाली), मण्डफिया (चित्तौड़गढ़), रावतभाटा (चित्तौड़गढ़), प्रतापगढ़, राजाखेड़ा (धौलपुर), राजगढ़ (चुरू), बयाना (भरतपुर), भरतपुर, नदबई (भरतपुर), डीग (भरतपुर), नगर (भरतपुर)

:-राजकीय कन्या महाविद्यालय-संगरिया (हनुमानगढ़), नीमकाथाना (सीकर), लालसोट, भरतपुर, बयाना (भरतपुर)।

:-राजकीय विधि महाविद्यालय- अजमेर, बून्दी, पाली, भरतपुर, अलवर।

विषय:-महालेखाकार के 'ड्राफ्ट पैरा' एवं विभागीय अभिमूल्यन नोट (Departmental Appreciation Note) के क्रम में प्रथम अनुपालना भिजवाने बाबत।

संदर्भ:-श्रीमान् उप शासन सचिव के पत्रांक प.4(1) उ.शि.-5/2021 दिनांक 08.07.2021 एवं 06.07.2021 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2107 दिनांक 15.07.2021

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में लेख है कि आप के महाविद्यालयों से संबंधित एवं संलग्न सूची में उल्लेखित अवधि के महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना बकाया है जबकी प्रथम अनुपालना निरीक्षण प्रतिवेदन के प्राप्त होने के एक माह में भिजवाया जाना आवश्यक है। आप को इस क्रम में बार-बार लिखा गया लेकिन अनुपालना आज दिनांक तक नहीं भिजवायी गयी। उक्त प्रकरण को शासन सचिव महोदय उच्च शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग द्वारा भी मीटिंग दिनांक 30.07.2021 के दौरान इसे अन्यथा लेते हुए शीघ्र अनुपालना मंगवाने के निर्देश दिये हैं। अतः उक्त क्रम में आदेशित किया जाता है कि आप के महाविद्यालय से संबंधित महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रथम पूर्ण अनुपालना निर्धारित प्रारूप में (दो प्रतियों में) एवं निर्धारित तिथियों में प्राचार्य एवं सहायक लेखाधिकारी-प्रथम व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। ताकि प्रस्तुत ड्राफ्ट पैरा को निरस्त कराया जा सकें। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

(संदेश नायक)

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 25 (ई)लेखा/आकाशि/सीएजी/2018-19 / 2140

दिनांक 04/08/21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-


1. संयुक्त निदेशक(एच.आर.डी.) एवं लेखाधिकारी (अनुदान) आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया आपसे संबंधित आक्षेपों की प्रथम अनुपालना लेखा शाखा को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करावें। नियत दिनांक को अनुपालना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जावेगा।
2. प्रभारी अधिकारी, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

वित्तीय सलाहकार

कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

निर्धारित कार्यक्रम सारणी

क. सं.	आयुक्तालय में प्रथम अनुपालना प्रस्तुत करने की दिनांक	महाविद्यालय का नाम
01	10.08.2021	प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय- करौली, हनुमानगढ़, उदयपुर, कोटड़ा (उदयपुर), डूंगरपुर, जोधपुर, बालेसर (जोधपुर), माण्डलगढ़ (भीलवाड़ा), जालौर, भीनमाल (जालौर), केलवाड़ा (बॉरा), मालपुरा (टोंक) राजकीय कन्या महाविद्यालय, संगरिया (हनुमानगढ़) नीम का थाना (सीकर)
02	11.08.2021	प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय-सोजत सिटी (पाली), मण्डफिया (चित्तौड़गढ़), रावतभाटा (चित्तौड़गढ़), प्रतापगढ़, राजाखेड़ा (धौलपुर), राजगढ़ (चुरू), बयाना (भरतपुर), भरतपुर, नदबई (भरतपुर), डीग (भरतपुर), नगर (भरतपुर) राजकीय कन्या महाविद्यालय-लालसोट (दौसा), भरतपुर, बयाना (भरतपुर)।
03	12.08.2021	सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय - अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा। राजकीय विधि महाविद्यालय- अजमेर, बून्दी, पाली, भरतपुर, अलवर। प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय- बॉसवाड़ा, कुशलगढ़ (बॉसवाड़ा), नागौर, आबुरोड़ (सिरोही), सांगोद (कोटा)
04	13.08.2021	संयुक्त निदेशक एच.आर.डी. एवं लेखाधिकारी (अनुदान) आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर


 वित्तीय सलाहकार
 कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर